कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमना जिला बाड़मेर

क्रमांक :— न्यायिक / 2024 / दिनांक :

प्रेषित :—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बाड़मेर।

विषय :— आतिशबाजी के संग्रह / विक्रय का अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंग :— श्रीमान जी का पत्रांक न्यायिक / 2024 / 4524—25 दिनांक 23.09.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सदंर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चेलाराम निवासी मालियों की ढाणी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी द्वार प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार प्रार्थी ने धोरीमन्ना में 100 कि.ग्रा. आतिशबाजी संग्रह / विक्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र की जांच तहसीलदार धोरीमन्ना से करवाई गई जो निम्नानुसार है :—

01. प्रार्थी की दुकान कस्बा धोरीमन्ना में धारेजा भवन के पास एन.एच 68 सर्विस रोड़ धोरीमन्ना में स्थित है प्रार्थी की दुकान का दरवाजा सड़क की तरफ खुलता है एवं रोड़ से करीबन 50 से 150 फीट दूरी पर स्थित है। भीड़—भाड़ व संकड़ी गली नहीं है।
02. प्रार्थी की दुकान के चारो तरफ स्थल के 15 मीटर दूरी तक कोई आतिशबाजी या विस्फोटक भण्डारण पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ या खतरनाक पदार्थ का भण्डारण / दुकान नहीं है।
03. प्रार्थी की दुकान की संरचना पत्थर व सिमेंट से पक्की बनी है।
04. प्रार्थी की दुकान भू—तल पर नियत है वर्तमान में खाली है।
05. प्रार्थी प्रस्तावित दुकान के अन्दर विद्युत फिटिंग फिक्स प्रकार की हुई है जिसमें कोई ढीला तार खराब स्वीच वगैरा नहीं पाया गया है।
06. प्रार्थी को दुकान की सीमा रेखा से बाहर पतरे इत्यादि लगाकर कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का भण्डारण / विक्रय वगैरा नहीं करने बाबत् पाबंद किया गया है।
07. आतिशबाजी अनुज्ञापत्र धारी को दुकान में बिन्दु संख्या 7 के संबंध में अनुज्ञापत्रधारी को सम्पूर्ण पालना करने की हिदायत दी गई।
08. प्रार्थी को दुकान के भीतर कागज या अन्य किसी प्रयोजन में काम में नहीं लेगा न ही ज्वलनशील पदार्थ रखेगा पाबन्द किया गया है।
09. प्रार्थी को केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय करने हुत पाबन्द किया गया है।
10. प्रार्थी की दुकान चौड़ी गली में स्थित है जहां पर फायर बिग्रेड आसानी से पहुंच सकती है।
11. प्रार्थी आतिशबाजी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार फयरवर्क्स का रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य उपयोग नहीं करने की पाबन्द किया गया है।
12. प्रार्थी को आतिशबाजी का स्टोर व विक्रय का लेखा जोखा नियम 1983 का नियम 32. 33 व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78, 82, 83 के शर्तो के मुताबिक प्रार्थी को पाबन्द किया गया व ज्ञान से अवगत करवाया गया।

अतः प्रार्थी रमेश कुमार पुत्र श्री चेलाराम निवासी मालियों की ढाणी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तूत आवेदन पत्रानुसार प्रार्थी ने धोरीमना में 100 कि.ग्रा. आतिशबाजी संग्रह / विक्रय करने हेतु अनुज्ञापत्र की अनुशंषा कर जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

केशव कुमार मीना (आर ए .एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना
(बाड़मेर)